सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 05, मंगलवार, *शाके* 1948- मई 26, 2026
Jyaistha 05, Tuesday, Saka 1948- May 26, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 26, 2025

संख्या: 4992 :- (राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 की धारा 3(1) के अन्तर्गत) सांकेड़ा लघु सिंचाई परियोजना जिला, चित्तौडगढ पर उक्त राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन मे कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 (नियम-2002) की धारा-8 (1) के तहत अधिसूची क्रमांक 34/भू.अ./ज.स./2025/1560-1571 दिनांक 30.10.2025 द्वारा लागू किया जा चुका है राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम. 2000 के अन्तर्गत धारा-3 (1) के अन्तर्गत सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता के लिए और उससे संसवत या अनुप्रासंगिक विषयों को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित सिंचाई प्रणाली के अधीन सांकेडा बांध के अन्तर्गत आने वाले जल उपयोगिता क्षेत्र एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को प्रशासनिक एवं जल आधार के तहत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है। इनके सर्वेक्षण संख्याकों का विस्तृत विवरण निर्धारित प्रक्रिया नुरूप चस्पा किया जावेगा।

क्र. स.	जल उपयोक्ता संगम का नाम	जल उपयोक्ता संगम का सुभिन्न नाम	जल उपयोक्ता संगम में सम्मिलित कमाण्ड क्षेत्र मे केनाल वितरिका माईनर का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	जल उपयोक्ता संगम में सम्मिलित कमाण्ड क्षेत्र के ग्रामो के नाम/ चकों के नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का सीसीए हेक्टेयर
1.	सांकेड़ा लघु सिंचाई	सांकेड़ा लघु सिंचाई	PH-1	प्रादेशिक क्षेत्र-1	सांकेड़ा, बिहारीपुरा	40.28
				प्रादेशिक क्षेत्र-	पेमा का खेड़ा,	39.63

	परियोजना जल उपयोक्ता संगम	परियोजना जल उपयोक्ता संगम		2	बिहारीपुरा	
				प्रादेशिक क्षेत्र-3	हाथी का गुढा, पेमा का खेडा	54.66
				प्रादेशिक क्षेत्र-4	पेमा का खेडा, कानपूरा, सांकेड़ा	42.49

राजकुमार शर्मा,
परियोजना अधिकारी,
एवं अधिशाषी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड,
चितौडगढ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।